520

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

प.9(1)नविवि/[illegible] जयपुर, दिनांक 9.1.2001

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :- दिनांक 15.8.98 से पूर्व कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को पट्टे जारी करने के संबंध में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्रीगंगानगर के प्रवास दिनांक 3.1.2001 के समय प्रश्न उपस्थित हुआ कि कच्ची बस्तियों में ऐसे व्यक्ति जो 15.8.98 से वहां निवास कर रहे है, किन्तु उनके पास उनके निवास का एक भी दस्तावेजी सबूत नहीं है, उन्हें पट्टे जारी किए जाये अथवा नहीं ?

इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(1)(नविआ/3/95 दिनांक 18.5.99 के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कच्ची बस्ती में 15.8.98 से पूर्व रहने वाले व्यक्तियों के भूखण्डों का नियमन उनके द्वारा इस संबंध में न्यूनतम एक सबूत पेश करने पर ही किया जा सकेगा।

भवदीय,

9.1.01

(एच.एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव (प्रथम)

(12A) (63)